न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम, सुपौल

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या– 203 / 2026
सुपौल थाना काण्ड संख्या– 366 / 2025

	1. शम्भू मुखिया, 2. बेलो मुखिया, 3. गुलाब देवी..... आवेदकगण बनाम् बिहार सरकार..... विपक्षी	
22 / 04 / 26	प्रार्थी अभियुक्तगण शम्भू मुखिया, बेलो मुखिया एवं गुलाब देवी की ओर से सुपौल थाना काण्ड सं0 366 / 2025 में अपनी गिरफतारी की आशंका दिखाते हुए अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया गया है, जिसे प्रचालित करते हुए उनके विद्वान अधिवक्ता श्री रामकिशोर रमण द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थी अभियुक्तगण बिल्कुल निर्दोष हैं एवं उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। प्रार्थी अभियुक्तगण की ओर से इस जमानत आवेदन से पूर्व अन्य कोई भी जमानत आवेदन अन्य किसी भी न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है। प्रार्थी अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है प्रार्थी अभियुक्तगण को गांव की गंदी राजनीति के तहत झूठा फंसाया गया है तथा लगाया गया आरोप बनावटी व मनगढंत है। लगाये गये आरोप में धारा 76, 303 (2) बी0एन0एस0 के आरोप को छोड़कर अन्य सभी आरोप जमानतीय है तथा यह आरोप मुकदमा को गंभीर बनाने के लिए जोड़ा गया है। दिनांक 10 / 07 / 2025 के घटना को लेकर दिनांक 13 / 07 / 2025 को प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है तथा विलंब का कोई कारण नहीं दिया गया है। प्रार्थीगण के विरूद्ध लगाया गया आरोप आकर्षित नहीं होता है। प्रार्थी अभियुक्तगण धारा 482(2) बी0एन0एस0एस0 का अनुपालन करने, सक्षम जमानतदार देने एवं न्यायालय की हर शर्त मानने को तैयार है। अतः विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण को अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का निवेदन करते है। विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री कमल नारायण यादव जमानत का विरोध करते हुए प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन को खारिज करने का निवेदन करते है। प्रस्तुत वाद सूचिका ननकी देवी के आवेदन के आधार पर धारा 329(4),126(2),115(2),76,303(2),352,3(5) BNS के अंतर्गत सुपौल थाना काण्ड सं0 366 / 25 दर्ज किया गया। जिसमें सूचिका का संक्षेप में कथन है कि दिनांक 10 / 07 / 25 को रामदास पंडित के पोती का बर्थ–डे था जिसमें सूचिका के पति गये थे एवं सूचिका की सास का तबीयत खराब था, वह घर के किवाड़ को सटा कर सो गयी थी। समय करीब 11 बजे रात में अभियुक्त शम्भू मुखिया उसके घर में घुस गये और सूचिका का मुॅह बंद कर प्रतिष्ठा लेने का प्रयास किया, वह छपटाती रही तो प्रतिष्ठा नहीं लिये परन्तु उसके साथ काफी छेड़खानी किया। सूचिका के ब्लाउज को फाड़कर छाती के साथ काफी छेड़–छाड़ किया। सूचिका जब चिल्लाई तो अभियुक्त शम्भू मुखिया उसके साथ मारपीट करने लगा एवं जान मारने के नीयत से उसके गला को दबाने लगा जिससे उसका दम घुटने लगा। उसी समय उसकी सास की नींद खुली गयी। अभियुक्त शम्भु मुखिया भागते समय हुए सूचिका के कान से सोने का बाली एवं गला से सोने का मंगल सुत्र खींचते हुए भाग निकला। उसी समय सूचिका की सास श्यामवती देवी अभियुक्त शम्भु मुखिया के पिता बेलो मुखिया एवं शम्भु मुखिया की मॉ गुलाब देवी को कहने गयी तो उल्टे दोनों मिलकर सूचिका के सास के साथ गाली–गलौज किये एवं मारपीट पर उतारू हो गये। उभय पक्ष को सुना। अभिलेख एवं काण्ड दैनिकी का अवलोकन किया। अभिलेख अवलाकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत वाद सूचिका द्वारा अभियुक्त शभूं मुखिया के विरूद्ध रात्रि के समय घर में घुस कर छेड़खानी करने एवं जेवर छीनने के आरोप	लगातार.....

22/04/26 लगातार	में दर्ज कराया गया है। साथ ही प्रार्थी अभियुक्त शंभू मुखिया की शिकायत उसके माता पिता से करने पर सूचिका व उसकी सास के साथ गाली गलौज एवं मारपीट पर उतारू होने जाने का आरोप है। अभिलेख से स्पष्ट है कि प्रार्थी अभियुक्तगण प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त है तथा प्राथमिकी से स्पष्ट है कि प्रार्थी अभियुक्त शंभू मुखिया के विरूद्ध विशिष्ट रूप से सूचिका के साथ छेड़खानी करने और जेवरात छीनने का आरोप है। सूचिका ने अपने पुनः बयान तथा अन्य साक्षियों ने अपने बयानों (काण्ड दैनिकी का पैरा– 4 व 5) में घटना एवं प्राथमिकी का पूर्णतः समर्थन किया है। काण्ड दैनिकी के कंडिका– 45 के अनुसार प्रार्थी अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है परंतु अभिलेख एवं काण्ड दैनिकी में प्रार्थी अभियुक्त शंभू मुखिया के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है तथा लगाया गया आरोप गंभीर प्रकृति का है तथा वाद अभी अनुसंधानाधीन है। उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के मद्देनजर प्रार्थी अभियुक्त शंभू मुखिया को अग्रिम जमानत पर मुक्त करना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। **तद्नुसार प्रार्थी अभियुक्त शंभू मुखिया की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।** जहां तक प्रार्थी अभियुक्त बेलो मुखिया एवं गुलाब देवी प्रश्न है इनके विरूद्ध कोई विशिष्ट आरोप नहीं है केवल गाली गलौज करने का आरोप है। अतः प्रार्थी अभियुक्त बेलो मुखिया एवं गुलाब देवी को अग्रिम जमानत का लाभ देना न्यायोचित प्रतीत होता। **अतः प्रार्थी अभियुक्त बेलो मुखिया एवं गुलाब देवी का अग्रिम अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकृत किया जाता है।** तद्नुसार आदेश प्राप्ति/प्रस्तुति के तीन सप्ताह अन्दर प्रार्थी अभियुक्त बेलो मुखिया एवं गुलाब देवी द्वारा निम्न न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करने या पुलिस द्वारा गिरफ्तार होने के पश्चात निम्न न्यायालय के संतुष्टिकारक मो0 10,000/- के दो–दो प्रतिभूओं के साथ जमानत बंध–पत्र दाखिल करने पर धारा 482(2) बी0एन0एस0एस0 के प्रावधानों के अधीन जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है। लेखापित ह0/– (दिलीप कुमार सिंह) जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम सुपौल	